न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 147 / 2017 दायरा दिनांक : 09.11.2017

उनवान

1– घनश्याम वल्द मूलचन्द, जाति लोधा

2– औंकार वल्द मूलचन्द, जाति लोधा

3– भैरूलाल वल्द मूलचन्द, जाति लोधा

अकवाम निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल वल्द श्रीलाल, जाति लोधा

2– देवलाल पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा

3– पन्नीबाई पुत्री श्रीलाल, जाति लोधा

4– कालूलाल पुत्र रामलाल, जाति लोधा

5– गुलाबचन्द पुत्र रामलाल, जाति लोधा

6– रमेश पुत्र रामलाल, जाति लोधा

7– कल्याण पुत्र रामलाल, जाति लोधा

8– भंवरी पुत्री रामलाल, जाति लोधा

9– मांगी बाई पुत्री रामलाल, जाति लोधा

10– कान्ति बाई पुत्री रामलाल, जाति लोधा

11– बरजी बाई बेवा रामलाल, जाति लोधा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अकवाम निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री एन के गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 व 7 से 11 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना जिससे वाद संख्या – 116/दावा/2011 वास्ते अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए डिक्री किया गया।

निर्णय **दिनांक : 27.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 ग्राम खेरखेड़ी माता पटवार हल्का कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 77 की पुरानी 101 खसरा नम्बर 155 की 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 की 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 की 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 5 किता की 13 बीघा 11 बिस्वा आराजी शामलाती खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 पेश है।

3 खातेदार रामलाल पुत्र घीसा, जाति लोधा फोत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण 4 लगायत 11 हैं कि उक्त मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादीगण के शामिल खाते में स्थित है और उक्त खसरा नम्बर 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 उक्त आराजी पर नीवें खोदकर पक्का निर्माण कार्य करना चाहता है।

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ कोटा ★

4 वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा नम्बर 217 की आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का कोई अधिकार नहीं है और ना ही खातेदार है। फिर भी उक्त आराजी पर कब्जा करके उक्त भूमि पर नीवे खोदकर पक्का निर्माण कार्य करने की धमकियां दे रहे हैं जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

5 दिनांक 15.07.2011 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 एक राय होकर वादीगण के शामलाती खाते की खसरा नम्बर 217 की आराजी पर गये और उक्त आराजी पर नीवें खोदकर पक्का निर्माण कार्य करने से वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना करने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

6 प्रतिवादीगण ने वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा नं. 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर पक्का मकान एवं नीवे खोदकर निर्माण कार्य कर दिया तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का पात्र है।

7 अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमायी जावे कि वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी कुल 5 किता की 13 बीघा 11 बिस्वा में खसरा नम्बर 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 नीवें खोदकर पक्का निर्माण कार्य करना चाहते हैं जिनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ताकि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कोई निर्माण कार्य ना करें एवं नीवें ना खोदे, ना ही अन्य से खुदवाये।

8 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

9 पत्रावली लोक अदालत केम्प मनोहरथाना में पेश हुई। पक्षकार उप. है। वादी का कथन है कि ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना के माल में खाता संख्या 77 की खसरा नम्बर 217 की 3.05 बीघा आराजी वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। इस आराजी पर प्रतिवादीगण नींवे खोद कर पक्का निर्माण करवाना चाहते

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

10 प्रतिवादीगण ने यद्यपि वाद में वाद में अंकित तथ्यों के विपरीत अपना जवाब पेश कर कथन है लेकिन आज उप. होकर जाहिर किया कि हम वादीगण के खाते की किसी भी आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करना चाहते हैं और ना ही जबरन कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण का यह भी कथन है कि मुताबिक इस्तदुवा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

11 अतः पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश है कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खाते की ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना के खसरा नम्बर 217 की 3.05 बीघा आराजी पर जबरन किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

12 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

13 निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है।

14 अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेड़ी माता के खसरा नम्बर 217 की 3 बीघा 5 बिस्वा आराजी के मामले में रेस्पोडेंट एवं वादीगण का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है।

15 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.03.2017 से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 01.03.2017 को आगामी तारीख पेशी वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 06.04.2017 नियत की गई थी और दिनांक 06.07.2017 को पत्रावली में दिनांक 11.05.2017 तारीख पेशी नियत की गई। इस दिनांक को पत्रावली पेशी में न लेकर दिनांक 31.05.2017 को प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है।

16 अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर दावा डिक्री किया कि प्रतिवादीगण का यह कथन है कि मुताबिक स्थित हुआ वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है, जबकि प्रार्थीगण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि आदेशिका में अपीलांट की उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर अंगूठे करवाये गये थे, मौखिक कथन के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता।

17 राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें दोनों पक्षकार लिखित में समझौता पत्र या राजीनामा पत्र पेश किया गया हो, राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हो, विवादित मामले में कोई समझौता पत्र पेश नहीं हुआ। आदेशिका में केवल 4–5 व्यक्तियों के साईन है, कुल पक्षकार 14 हैं, ऐसी स्थिति में जब पक्षकार ही सहमत नहीं थे तो अधीनस्थ न्यायालय को दावा डिक्री नहीं करना चाहिए, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के तहत दावा डिक्री किया है, जो कि अवैधानिक है।

18 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत वाद डिक्री किया है, जबकि वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य तक भी पेश नहीं की है, अपने दावे को किसी भी तरह से साबित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधिवत रूप से निर्णय पारित करना चाहिए।

19 विवादित आराजी के अपीलांट भी सहखातेदार हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का दावा चलने योग्य ही नहीं था, और ना ही रेस्पोडेंट स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी थे।

20 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

21 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

22 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

23 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की –

1– आर. एल. डब्ल्यू. 2001(1) एस.सी. पेज 95

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2— आर.आर. डी. 1986 पेज 10

24 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

25 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

26 अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 19.12.2020 की सत्य प्रतिलिपि पेश की गई । जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 23.01.2023 को न्यायहित में प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी स्वीकार किया गया एवं दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

27 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादीगण घनश्याम वल्द मूलचन्द, जाति लोधा, औंकार वल्द मूलचन्द, जाति लोधा एवं भैरूलाल वल्द मूलचन्द, जाति लोधा ने दिनांक 31.05.2017 लोक अदालत केम्प मनोहरथाना में स्वयं उपस्थित होकर पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डर शीट पर समस्त अपीलार्थीगणों के हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत अपील में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उन्होंने कहीं भी यह इंकार नहीं किया कि हम लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे या यह हमारे हस्ताक्षर नहीं है।

28 अधीनस्थ न्यायालय ने दावा 183 आर.टी.एक्ट के तहत पेश हुआ और दिनांक 31.05.2017 को आदेश दिया एवं डिक्री जारी की कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खाते की ग्राम खेरखेड़ी माता जी की खसरा नम्बर 217 की 3.05 बीघा आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अतः उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

29 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

30 निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– घनश्याम वल्द मूलचन्द, जाति लोधा 2– औंकार वल्द मूलचन्द, जाति लोधा 3– भैरूलाल वल्द मूलचन्द, जाति लोधा अकवाम निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ ....**अपीलान्ट्स**	**बनाम**	1– मांगीलाल वल्द श्रीलाल, जाति लोधा 2– देवलाल पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा 3– पन्नीबाई पुत्री श्रीलाल, जाति लोधा 4– कालूलाल पुत्र रामलाल, जाति लोधा 5– गुलाबचन्द पुत्र रामलाल, जाति लोधा 6– रमेश पुत्र रामलाल, जाति लोधा 7– कल्याण पुत्र रामलाल, जाति लोधा 8– भंवरी पुत्री रामलाल, जाति लोधा 9– मांगी बाई पुत्री रामलाल, जाति लोधा 10– कान्ति बाई पुत्री रामलाल, जाति लोधा 11– बरजी बाई बेवा रामलाल, जाति लोधा अकवाम निवासीगण ग्राम खेरखेड़ी माता, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 147/2017 एवं
मु.द.नं0 116/दावा/2011

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **31.05.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **14** माह **02** सन् **2023**

हाजरी **श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री एन0 के0 गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 5 व 7 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 31.05.2017 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27** माह **02** सन् **2023** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)